संख्या- 1/2616/बयालिस-2014-37(विविध)/2012

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : फरवरी, 2015**

विषय- जनपद कन्नौज की तहसील छिबरामऊ में स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 596/नि0 छिबरामऊ स्टे0 पत्रा0/2013-14, दिनांक 09.10.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 2896/बयालिस-2013-37(विविध)/2012, दिनांक 22 नवम्बर, 2013 द्वारा उक्त प्रायोजना हेतु रू0 1006.61 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा रू0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी तत्पश्चात शासनादेश संख्या- 964/बयालिस-2014-37(विविध)/2012, दिनांक 31 मार्च, 2014 द्वारा रू0 54.14 लाख, शासनादेश संख्या- 1075/बयालिस-2014-37(विविध)/2012, दिनांक 28 अप्रैल, 2014 द्वारा रू0 167.00 लाख एवं शासनादेश संख्या- 2206/बयालिस-2014-37(विविध)/2012, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 द्वारा रू0 333.00 लाख कुल रू0 654.14 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। प्रायोजना में कतिपय नये कार्यों के सम्मिलित किये जाने तथा अनुमोदित लागत में कार्यों के पूर्ण न होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय जनपद कन्नौज की तहसील छिबरामऊ में स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु रू0 1236.40 लाख (रू0 बारह करोड़ छत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है।

(1)- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जाय।

(2)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3)- कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी खेल निदेशालय की होगी।

(4)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य पूर्व होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे प्राप्त किये जाये।

(5)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(6)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7)- लेवर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(8)- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगी।

(9)- प्रश्नगत प्रायोजना विषयक मुल शासनादेश संख्या- 2896/बयालिस-2013-37(विविध)/2012, दिनांक 22 नवम्बर, 2013 एवं उपर्युक्त उल्लिखित अन्य शासनादेश में वर्णित शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

2- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5-168/दस-2015, दिनांक 9 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

संख्या- 2616(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, कन्नौज।
(5)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, कानपुर/क्रीड़ाधिकारी, कन्नौज।
(6)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(7)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(8)- नियोजन अनुभाग- 4
(9)- निजी सचिव, मीडिया सलाहकार मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in